संपादकीय

हाल ही में हम श्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार से मिले, क्योंकि हम एशिया के भीतर व्यापार के क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक सांझेदारी (आरसीईपी) को आकार देने के तरीके से चिंतित थे। हमने उनसे किसानों की चिंताओं का भी मूल्यांकन किया है जिसे वह ब्यूनस आयर्स में विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में उठाऐंगे।

हमने मंत्री जी को समझाया, हमारी आशंका और डर है कि हर बार खाद्य कीमतों में इजाफा होता है, केंद्र ने कृ-ि जिंसों के बिना बाधित आयात को सुविधाजनक बनाने के द्वारा मुद्रास्फीति पर लगाम लगाया है। यह लगातार फार्मगेट मूल्य को नीचे लाता है। लेकिन जब कीमतें गिरती हैं, तो केंद्र सरकार उदासीन रहती है।

हमें श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने 5 दिसंबर, 2017 को आयोजित पूर्व बजट परामर्श बैठक में बजट 2018-19 के प्रस्तावों के लिऐ बुलाया था। दो घंटे से अधिक की बैठक में, एक विस्तृत चर्चा हुई, जहां हमने तथ्य बजट पर प्रकाश डाला था, कि वह सिर्फ वित्तीय आबंटन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सिस्टम को दुरूस्त करने वाले बड़े संरचनात्मक मुद्दों से निपटना चाहिए।

हाल ही में संपन्न 'विश्व खाद्य दिवस' में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने रू. 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश पर हस्ताक्षर किऐ थे। हालांकि, इस घटना में केवल 918 किलो खिचडी पकाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और वही एक स्थायी प्रभाव था, संभवतः कोई भी बुद्धिमान आत्मा इस प्रचार से आश्वस्त नहीं थी। पीएमओ दोनों में विश्वास करने के लिए इतने भोले नहीं हो सकते। अब समय आ गया है कि कृ-ि और किसान कल्याण मंत्रालय को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ विलय करके तालमेल बनाकर खिचडी की नीति को समाप्त किया जाऐ।

किसानों की एक पुरानी धारणा है कि सरकार ृहरी मध्यवर्ती वर्गों के लिए ही काम करती है और यह मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री को या तो किसानों कि बात करनी चाहिऐ नहीं तो यह संदेह से परे है कि 2019 आने पर नीतिगत विसंगतियां किसानों को एक रो-ा में ले जाएंगी जो प्रति-ठान को घेर लेंगे। कितनी देर तक खेती की नौकरियों और कृ-ि क्षेत्र की किसानों की अपेक्षाओं पर आधारित समर्थन पर नेतृत्व जारी रहेगा ?

श्रमिक अल्पता के समाधान के रणनीतिक विकल्प (भाग – 2)

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि श्रम पर निर्भरता कम करने के लिए घास-फूसनाशक एक कारगर तरीका है। फसलों की पैदावार पर भी इसका सकारात्मक असर होता है क्योंकि इससे खेतों में खेती संबंधी दूसरे कारवाइयों पर ध्यान देने का ज्यादा समय और संसाधन उपलब्ध होता है। एक प्रयोगिक अध्ययन बताता है कि वनस्पतिनाशकों का इस्तेमाल करने के बाद चावल, गन्ना और मक्का के लिए श्रमिक की आवश्यकता में कमी आती है। इस प्रयोग के दौरान निराई के लिए श्रमिक आवश्यकता में लगभग 22 प्रतिशत तक कमी देखी गई जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण श्रमिक आवश्यकता में भी लगभग 6 प्रतिशत तक कमी हुई।

कृ-ि को अधिक लाभकारी बनाना

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृ-ि क्षेत्र की उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना सबसे सीधा तरीकों में से एक है जिसके द्वारा कृ-ि को लाभकारी बनाया जा सकता है।

उत्पदकता में दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से तुलना करें तो भारत फिलहाल पिछड़ा हुआ है। भारत की प्रति हेक्टेयर पैदावार चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के औसत का आधा है। फलस्वरूप, यहाँ कृ-ि आय निम्न है और इसकी वृद्धि धीमी है। भारत में 2000 और 2010 के बीच खेतिहर मजदूरों की उत्पादकता 3.2 प्रतिशत प्रतिव-र् के दर से बढ़ी है जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि में निर्माण और सेवा क्षेत्र की श्रम उत्पादकता में प्रतिव-र् लगभग 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृ-ि क्षेत्र रोजगार में लगभग 20 प्रतिशत की कमी का भी सामना कर रहा है।

इस खण्ड में उन तकनीकी उत्तोलकों की चर्चा की गई है जिनसे भारतीय कृ-ि की पैदावार और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उत्पादकता बढ़ने से छोटे जोतदारों, दिहाड़ी मजदूरों और संबंधित व्यवसायियों समेत कृ-ि से जुड़े संपूर्ण ग्रामीण परितंत्र को लाभ होता है।

अनुमान है कि यदि सभी कारक यथावत रहें तो भी केवल उत्तम बीजों के इस्तेमाल से ही फसल की पैदावार 15-20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इस तरह प्रयुक्त बीजों की गुणवत्ता भी कुछ हद तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पैदावार में भिन्नता का एक कारण है। कृ-ि विज्ञान संबंधी नवीनता (पौधों के बीच दूरी, जुताई आदि) के साथ बीज प्रौद्योगिकी के मेल से अनाज की पैदावार पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है।

गहन खेती

गहन खेती एक कृ-ि उत्पादन पद्धति है। इसकी विशे-ता यह है कि प्रति इकाई अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें अधिक मात्रा में पूँजी, श्रम जैसे निवेश या भूमि क्षेत्र के सापेक्ष अधिक मात्रा में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में उत्पादन की लागत में बड़े पैमाने की किफायत के लिए कृ-ि संबंधी मशीनों, खेती की पद्धतियों और तकनीकों में नवीनता की आवश्यकता होती है। खेती की ऐसी तकनीकों से उत्पादकता में भारी बढ़ोतरी हासिल की जा सकती है। इस प्रकार की एक उत्पादकतावर्द्धक तकनीक है एसआरआई (सिस्टेमेटिक राइस इन्टेन्सीफिकेशन) जिसे पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में अपनाया जा रहा है।

मामले का अध्ययन

सिस्टेमेटिक राइस इन्टेन्सीफिकेशन (एसआरआई) एक कार्यपद्धति है जिसका लक्ष्य निम्नलिखित सिद्धान्तों के द्वारा चावल की पैदावार बढ़ाना हैः

- धान के खेत की मिट्टी को संतृप्त रखने के बदले नम रखा जाता है क्योंकि ऐसा करने से जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है और भूमि में पाए जाने वाले वायुजीवी जीवाणुओं की वृद्धि एवं विविधता को बल मिलता है। इसमें जल की आवश्यकता आधा कम हो जाती है।
- धान के पौधों को एक-एक करके और पर्याप्त दूरी पर रोपा जाता है ताकि जड़ें ज्यादा फैलें, पौधे अधिक छतनार हों और सभी पत्तों द्वारा प्रकाश संश्लेशण की क्रिया हो सके, एवं
- धान के छोटे बिचड़े जो 15 दिनों से कम के और केवल दो पत्तियों वाले होते हैं, ीघ्रतापूर्वक, कम गहरे और सावधानीपूर्वक रोपे जाते हैं ताकि जड़ों को क्षति और रोपाई के झटके से बचाया जा सके।

एसआरआई के साथ उर्वरकों और मशीनीकरण जैसी अन्य तकनीकों का भी प्रयोग करने से पैदावार पर प्रभाव बढ़ जाता है।

आँध्र प्रदेशः

आँध्र प्रदेश में व-र् 2003 के खरीफ के दौरान सभी 22 जिलों में एसआरआई लागू की गई। इस पद्धति को अपनाने से राज्य को अनेक फायदे हुए।

- अनाज के दानों की संख्या में 38-66 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई और कुल मिलाकर परंपरागत जल भराई की तुलना में कुल मिलाकर 48 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई।

- अनाज की पैदावार में कुल मिलाकर 25 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ 21 से 30 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी हुई।
- परंपरागत कृ-ि पद्धतियों की तुलना में किसानों के लिए एसआरआई कृ-ि पद्धति 6–19 प्रतिशत सस्ती साबित हुई।
- सकल आय में औसत 28 प्रतिशत और ुद्ध आय में 65 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

आनुक्रमिक फसल (सिक्वेन्शल क्रॉपिंग)

आनुक्रमिक फसल एक ऐसी पद्धति हे जिसके तहत एक ही स्थान में दो या दो से अधिक फसलें एक ही सीजन में उगाई जाती हैं जहाँ बाद वाली फसल को पहली वाली फसल के कट जाने के बाद लगाया जाता है।

इससे प्रकाश, पो-क तत्व, मिट्टी और जल समेत वृद्धिकारक संसाधनों का अधिक प्रभावशाली उपयोग होता है। बढ़ती आबादी के कारण भूमि पर प्रति इकाई उत्पादकता, इकाई अवधि और प्रयुक्त इकाई संसाधनों को बढ़ाने का दबाव बढ़ता है।

उत्पादन के कारक तत्वः

बेहतर खेतों से कृ-ि व्यवसाय तक लिंकेज

नवोन्मेशी खेती से कृ-ि व्यवसाय तक लिंकेज यानी संपर्क से बिचौलियों का खात्मा (अमध्यस्थीकरण) होगा और पैदावार की खरीद की परेशानियाँ दूर होंगी। इस प्रकार की लिंकेज से छोटे किसानों की सौदेबाजी क्षमता बढ़ती है और बाजार से उनकी आय में सुधार होता है। इस प्रकार कृ-िगत व्यावहारिकता में वृद्धि होती है।

खेतों से कृ-ि व्यवसाय तक संपर्क को मजबूत बनाने की तीन अलग-अलग पद्धतियाँ हैंः

अनुबंधित खेती

खरीदार और किसान पूर्वनिर्धारित मूल्य और उत्पादन सहायता के बदल में मात्रा, गुणवत्ता, सुपुर्दगी अवधि की ृर्तों पर आपस में अनुबंध करते हैं।

- यह मुख्यतः क्रेता नियंत्रित पद्धति है जिसमें पेप्सीको और आईटीसी जैसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ पहल करती हैं।

- इस प्रकार किसान बिचौलियों की उपेक्षा करके सीधे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों अनाज बेच सकते हैं।
- किसानों को अपनी पैदावार के लिए पूर्वनिर्धारित कीमत और प्रौद्योगिक सहयोग मिलता है जबकि कंपनियों को सुनिश्चित आपूर्ति मिलती है।

कृ-ि सहकारी समितियां

सहकारी समिति छोटे किसानों और क्रेताओं के बीच संयोजक का काम करती है। यह किसानों के लिए आदेश प्राप्त करने, लदाई और परिवहन, बिल बनाने, संग्रह और भुगतान सेवाएँ प्रदान करती हैं।

- यह मुख्यतः उत्पादक नियंत्रित पद्धति है जिसमें किसान एक साथ मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं।
- इससे क्रेता को अलग-अलग किसानों के बजाय समूह के साथ बात करने की सुविधा मिलती है।
- सहकारी समिति किसानों को अतिरिक्त कार्यों के लिए सहयोग देते हुए बिचौलिए की भूमिका अदा करती हैं।
- भारत में फिलहाल अधिकतर कृ-ि सहकारी समितियों सरकार द्वारा नियंत्रित हैं जहां दुग्ध उत्पाद के अलावा और क्षेत्रों में सीमित सफलता मिली है।

किसान इक्विटी पद्धति

आपूर्ति श्रृंखला पर क्रेताओं का मजबूत नियंत्रण रहता है जबकि उत्पादकों को लाभ में हिस्सा मिलता है।

- इससे उत्पादक कंपनी में उत्पादक का प्रत्यक्ष हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है।
- क्रेता कंपनी और किसानों के लिए आपसी बातचीत करना आसान होता है।
- उत्पादक की वचनबद्धता बढ़ती है।
- इसकी बनावट के कारण उत्पादक कंपनी पर प्रतिबंधी उधारी और जमा नियमों का दबाव कम रहता है।

आगे का रास्ता

हालाँकि कृ-ि राज्य के अधिकार का वि-ाय होता है तथापि केंद्र द्वारा लागू नीतियों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है जैसा कि मनरेगा के उदाहरण में देखा जा सकता है जिसने कृ-ि को

प्रभावित किया है। आगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कृ-ि को उत्पादक और आक-र्क बनाने के लिए अनेक कदम उठा सकती है :-

राज्य सरकार

- भूमि पट्टा बाजार को मुक्त करना
- दस्तूरी किराया पद्धति
- एपीएमसी में सुधार

केंद्र सरकार

- मनरेगा में सुधार
- अनुसंधान पर खर्च

राज्य सरकार के पहल

भूमि पट्टा बाजार मुक्त करना

विगत व-ोंं के दौरान भारत में जोत का आकार घटता गया है जो जोत के टुकड़े-टुकड़े होने के कारण 2001 के 1.33 हेक्टेयर से घटकर 2011 में 1.13 हेक्टेयर पर आ गया। भारत में विभिन्न काश्तकारी नियमों के कारण जोत की चकबंदी बाधित हुई है जो इस क्षेत्र के लिए एक जरूरी कारवाई है। जोत का आकार बढ़ाने से सबसे निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं :

1. मशीनीकरण की व्यावहारिकता में बढ़ोतरी
2. किसानों के लिए ऋण की सुलभता में सुधार
3. प्रति किसान रिटर्न में वृद्धि

कृ-ि संबंधी काश्तकारी नियमों का विस्तार और स्वरूप विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। हालांकि, इस मामले में राज्यों को चार सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- समस्त कृ-ि काश्तकारी पर परोक्ष प्रतिबंध : केरल, जम्मू एवं कश्मीर।
- कृ-ि काश्तकारी पर सामान्य रोक लेकिन विधवा, अवयस्क, सीमांत जोतदार और/अथवा सैनयबलों के सदस्यों आदि के लिए कतिपय छूट : कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आँध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र।

- काश्तकारी पर स्प-ट रोक का नहीं होना लेकिन काश्तकारी को या तो स्थायी काश्तकार के रूप में या एक निर्धारित अवधि के भीतर क्रय अधिकार के माध्यम से काश्तकारी की जमीन पर संरक्षित अधिकार देकर काश्तकारी को निरूत्साहित करना : पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महारा-ट्र, बिहार और असम।
- काश्तकारी पर कुछ प्रतिबंध, हालाँकि काश्तकारी की न्यूनतम सीमा और/अथवा अधिकतम लगान स्तरों का निर्धारण : राजस्थान, तमिलनाडु और आँध्र प्रदेश के तेलांगाना के बाहर के क्षेत्र।

जैसे-जैसे गैर-कृ-ि अर्थव्यवस्था में अवसर बढ़ते हैं, काश्तकारी बाजार में प्रवासन, विशे-ाज्ञता और निवेश जैसी आजीविका संबंधी संभावनाओं के व्यापक विकल्प सुलभ होते हैं। ऐसे परिवारों को इससे फायदा होगा जो गैर-कृ-ि आजीविका अपनाना चाहते हैं यदि वे अपनी जमीन किसी दूसरे को पट्टे पर देने की स्थिति में हों। छोटे खेतों में पूँजी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भूमि पट्टा बाजार को मुक्त करना उचित होगा ताकि बाजार निर्देशित ई-टतम आकार की जोत विकसित हो सके और भूमि, श्रम एवं पूँजी का सुसंगत उपयोग सुनिश्चित की जा सके।

प्रस्तावित सुधारों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूस्वामी को भूमि पट्टा देने की प्रक्रिया में अपनी जमीन से बेदखल नहीं होना पड़े और यह भी कि पट्टाधारी को काश्तकारी का दावा नहीं रहे।
- पट्टे की अवधि को 10-15 व-र्ों तक लंबा और पट्टे वाली जमीन के आकार पर सीमा हटाया जाना चाहिए ताकि खेती को ज्यादा उत्पादक बनाने के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों को प्रौद्योगिकी में निवेश करने में सुविधा हो।
- ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए कि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर जमीन स्वतः किसान/भूस्वामि के अधिकार में आ जाए।

इस कदमों से किसानों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को उत्पादकता एवं कृ-ि पैदावार की उत्तमता बढ़ाने के लिए खेतिहर भूमि के समूहीकरण (चकबंदी) और कृ-ि प्रौद्योगिकी, ड्रिप सिंचाई एवं सर्वश्रे-ठ पद्धतियों में निवेश करने में आसानी होगी।

कस्टम हायरिंग (आवश्यकतानुसार भाड़े पर मशीन का प्रयोग)

कस्टम हायरिंग पद्धतियों को राज्य सरकारों द्वारा मुस्तैदी से लागू किया जा सकता है जिससे कि किसानों को प्रति इस्तेमाल के हिसाब से किराए पर कृ-ि मशीनें उपलब्ध हो सकें। इससे

किसानों की पूँजी लागत में राहत मिलती है और साथ ही उन्हें खेती को मशीनीकृत करने के अवसर मिलता है। यह विशे-कर लघु और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद होगा जो छोटे जोतदार होने के कारण कृ-ि मशीनें खरीदने में असमर्थ हैं।

कृ-ि संबंधी विकास, विशे-कर खेतिहर मजदूरों की घटती संख्या के संदर्भ में निरंतरता के लिए कृ-ि का मशीनीकरण अनिवार्य है। तथापि, विशे-कर जमीन की तैयारी और फसल कटाई जैसे कार्यों के लिए प्रतिकूल 'बड़े पैमाने की लागत' के कारण लघु और सीमांत किसानों की बड़ी आबादी अभी भी कृ-ि में मशीनीकरण का पूरा लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। उदाहरण के लिए, गन्ने की खेती में श्रमिक की गंभीर कमी के कारण गन्ना हार्वेस्टर और प्लांटर जैसी मशीनों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। लेकिन, इन उपकरणों की लागत के कारण भारत में बड़े किसानों के लिए ये अव्याहारिक हैं।

खेतों का औसत आकार घटने के कारण अधिकाधिक खेत प्रतिकूल श्रेणी के तहत आ जायेंगे जिसके चलते किसान के लिए कृ-ि मशीनों को व्यक्तिगत तौर पर खरीदना और भी खर्चीला होगा। ऐसी स्थिति में, भारत में कृ-ि मशीनीकरण की गति तेज करने के लिए कस्टम हायरिंग सबसे अनुकूल पद्धति लगती है। इस पद्धति से कृ-ि मशीनीकरण को 'किसान मात्र' के स्वामित्व के बंधन से मुक्ति मिलेगी और सेवाओं के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

हालाँकि, भारत में कतिपय कृ-ि मशीनों की कस्टम हायरिंग व्यवस्था प्रचलित है, तथापि वर्तमान स्थिति में यह काफी असंगठित और छिटपुट अवस्था में है। इसके पीछे के कारणों से कुछ तथ्य निकलते हैं। पहला, चूँकि यह गतिविधि पूँजी-प्रधान है इसलि कस्टम हायरिंग केंद्रों में कार्यकुशल संचालन के लिए एक न्यूनतम पैमाना तय करने की आवश्यकता है।

कृ-ि में माँग का स्वरूप मौसमी होने के कारण संपदा का न्यून उपयोग हो पाता है जिसकी वजह से इनमें उत्पादन पूर्व तैयारी में लंबा समय लगता है। दूसरे, इन केंद्रों को स्थापित करने के सिलसिले में लघु उद्यमियों के प्रवेश की राह में काफी बाधाएँ हैं। लघु उद्यमियों की ऋण योग्यता कम होती है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई विशि-ट प्रोत्साहन नीति भी नहीं है। देश में संगठित कस्टम हायरिंग की सफलता निर्धारित करने वाला तीसरा बड़ा कारक बैंकों की ऋण नीति को माना जा सकता है। आम तौर पर, ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा कृ-ि उपकरणों को बंधक रखने के अलावा भारी समर्थक जमानत पर जोर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उद्यमियों की ओर से जवाबी क्रिया में कमी आ रही है।

अभी तक के नीतिगत हस्तक्षेपों का ध्यान कृ-ि उपकरणों के व्यक्तिगत स्वामित्व पर केंद्रित रहा है जो कुल मिलाकर देश में कृ-ि मशीनीकरण का अपेक्षित स्तर हासिल करने में असफल साबित हुआ है। देश में कस्टम हायरिंग को तेज करने की आवश्यकता है जो मूल्य संचालित प्रवृति से काम करती है और एक बार ग्राहकों को सेवा देने तक सीमित नहीं होती। अनुकूल

नीतिगत ढाँचा तैयार करने के लिए विभिन्न विकल्प खोजने की तत्काल जरूरत है ताकि देश में व्यावसायिक रूप से कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन मिल सके।

मामले का अध्ययन

मध्य प्रदेश सरकार के कृ-ि विभाग ने कृ-ि को बढ़ावा संबंधी अनेक कदम उठाए हैं जिनमें से एक है कस्टम हायरिंग सेवा। किसानों और अन्य संस्थानों को गहरी जुताई, भूमि समतलीकरण, हल्की खेती आदि के लिए भाड़े पर मशीनें दी जाती हैं।

- किसानों को भाड़े पर देने के लिए भारी मोल्ड बोर्ड हलों के साथ 37 छल्ले जैसे (चेन टाइप) ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। ये मशीनें गहरी जुताई करती हैं।
- निदेशालय के पास अपने 76 बुल्डोजरों का बेड़ा है जिनका उपयोग समतलीकरण, खेतों में मेड़ बनाने और जल संग्रहण संरचनाओं (तालाबों) के निर्माण के लिए किया जाता है।
- हल्की जुताई और अन्य कृ-ि संबंधी कार्यों के लिए उपकरणों से लैस 135 ह्विल ट्रैक्टरों का बेड़ा उपलब्ध है।

इन मशीनों को छोटी अवधि में खेती संबंधी विभिन्न कार्य संपादित करने के लिए सरकार द्वार निर्धारित दर पर आवश्यकता के अनुसार किसानों को भाड़े पर दिया जाता है।

उपसंहार

भारत में खाद्य सुरक्षा, 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर और ग्रामीण आय में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य उच्चतर कृ-ि वृद्धि दर के बिना हासिल नहीं हो सकती है जो विगत पांच व-र्ाों में 4.1 प्रतिशत पर रही है।

2004–05 से 2011–12 के बीच कृ-ि में पहली बार श्रमबल में कमी की घटना हुई थी जब इसकी कुल संख्या में लगातार वृद्धि के बावजूद 30.57 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई। वैकल्पिक क्षेत्रों में उच्चतर पारिश्रमिक और अवसरों में बढ़ोतरी के कारण खेती से श्रमबल का पलायन हुआ। इसके चलते श्रमिकों की कमी, मजदूरी में वृद्धि और आगे चलकर खेती की लागत में बढ़ोतरी जैसे परिणाम सामने आए। मनरेगा जैसी सरकार योजनाओं से श्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इस दिशा में तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

यदि श्रमिक आवश्यकता कम करने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए तो खेतों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है और पैदावार की कीमतों पर इसके उत्तरोत्तर उर्ध्वगामी प्रभाव हो सकते

हैं। इस समस्या का सामना करने वाले अधिकांश देशों में समाधान के लिए परंपरागत खेती पद्धतियों के स्थान पर व्यापक स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। भारत को भी शीघ्र ही इसे अपनाना होगा। किसानों, उद्योगों और सरकार जैसे प्रमुख हिस्सेदारों को श्रम अल्पता की समस्या के समाधान हेतु पर्याप्त कारवाई करनी चाहिए।